यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवाली (नैनीताल)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवाली (नैनीताल) के माह 04/2012 से 02/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 08.03.2018 से 12.03.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई को 04/2012 में आहरण एवं संवितरण का दायित्व सौंपा गया, जिसके कारण इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत चिकित्सालय के माध्यम से चिकित्सा, परिवार कल्याण, टीकाकरण, मातृ शिशु देखभाल, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र चिकित्सालय परिसर तक सीमित है, जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का ईलाज किया जाता है।

(ii) (अ) विगत छः वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	–	–	53.90	53.90	188.24	188.24	–	–	–	–
2013–14	–	–	76.72	76.72	227.34	227.34	–	–	–	–
2014–15	–	–	84.87	84.87	246.25	240.25	–	–	–	6.00
2015–16	–	–	86.05	86.05	246.52	246.52	–	–	–	–
2016–17	–	–	82.39	82.39	319.08	319.08	–	–	–	–
2017–18 (02/2018)	–	–	–	–	442.06	381.03	–	–	–	61.03

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2012—13		—	2.50	2.49	—	0.01
2013—14		0.01	1.00	1.00	—	0.01
2014—15		0.01	3.48	3.47	—	0.02
2015—16		0.02	5.00	5.00	—	0.02
2016—17		0.02	5.12	5.11	—	0.03
2017—18 (02/2018)		0.03	—	—	—	0.03

(iii) इकाई को अधिष्ठान हेतु बजट आबंटन महानिदेशालय स्तर एवं एन0एच0एम0 का आबंटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर—स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः—

अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वाथ्य

⇩

सचिव/अपर सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

⇩

महानिदेशक

⇩

निदेशक

⇩

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

⇩

चिकित्सा अधीक्षक

⇩

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

⇩

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी

⇩

चिकित्साधिकारी

⇩

पैरामेडिकल संवर्ग

⇩

मिनिस्टिरियल संवर्ग

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवाली (नैनीताल) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवाली (नैनीताल) की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह जून 2015, नवम्बर 2016 एवं अक्टूबर 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 2.12 लाख का अधिक भुगतान।

शासनादेश संख्या 41/xxvii/7 सी भर्ती/2009 दिनॉक 13 फरवरी 2009 के अनुसार यदि किसी कार्मिक की भर्ती दिनॉक 01 जनवरी 2006 अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती से हुई हो तो उनके वेतन बैण्डों एवं ग्रेड वेतन पर न्यूनतम प्रविष्टि वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाएगा तथा शासनादेश संख्या 2084/XXVIII–3–2013–142/ 2008 दिनॉक 31 दिसम्बर 2013 के अनुसार चीफ फार्माशिष्टों/फार्माशिष्टों का वेतन उच्चीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त सातवें वेतन आयोग के दिशा–निर्देश के अनुसार कार्मिकों का वेतन निर्धारण दिनॉक 31 दिसम्बर 2015 की स्थिति को लेते हुए वेतन + ग्रेड वेतन को 2.57 गुणांक से गुण किया जाएगा। इसप्रकार प्राप्ति राशि नये वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरुपी लेवल में तलाशी जानी है। यदि इसप्रकार प्राप्त राशि के समरुप कोई कोष्ठिका को संशोधित लेवल में उपलब्ध है तो उसी कोष्ठिका को संशोधित वेतन माना जाएगा अन्यथा उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्ठिका को कर्मचारी का संशोधित वेतन माना जाएगा। कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवाली (नैनीताल) के कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जॉच में पाया गया किः–

1. श्री रमेश राम, फार्माशिष्ट का वेतन दिनॉक 31 दिसम्बर 2013 के शासनादेश के अनुसार नहीं किया गया था वल्कि स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा उक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण ग्रेड वेतन के न्यूनतम के आधार पर किया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। परिणामतः श्री रमेश राम को 31.12.2013 से 01.01.2018 तक रु0 61,442 का अधिक भुगतान किया गया।

2. चार कार्मिकों क्रमशः डा0 रमेश कुमार, चिकित्साधिकारी, श्री अनूप लोहानी, लैब टैक्नीशियन, श्री तरुण कुमार, डेण्टल हाईजैनिक एवं श्रीमती शीला देवी, चतुर्थ श्रेणी का 7वें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण माह जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार किया गया जबकि नियमानुसार वेतन निर्धारण 31 दिसम्बर 2015 की स्थिति के अनुसार होना चाहिए था। परिणामतः उक्त कार्मिकों को माह जनवरी 2016 से जनवरी 2018 तक त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण वेतन के रुप में रु0 1,50,366[1] का वेतन अधिक दिया गया।

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणामस्वरुप पॉच कार्मिकों को रु0 2,11,808 का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि समस्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण शासनादेशों के अनुरुप ही हुआ है, फिर भी प्रकरण संज्ञान में आने पर पुनः समीक्षा कर वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेशों एवं वेतन आयोग के निर्देशों में स्पष्ट प्रावधान किए गये थे एवं उसके अनुसार ही वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए था।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 2.12 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

---

[1] डा0 रमेश कुमार : रु0 57914, श्री अनूप लोहानी : रु0 30797, श्री तरुण कुमार : रु0 31543 एवं श्रीमती शीला देवी : रु0 30112

STAN

प्रस्तर–2 ई–भुगतान की धनराशि रु0 142.20 लाख को रोकड बही में प्रविष्टि न किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 3/XXVII(6)/2013 दिनॉक 02 जनवरी 2013 के बिन्दु संख्या 4.9 में ई–भुगतान प्रणाली में दिए गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकरी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धित के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों यथा 11–सी पंजिका, रोकड बही, बिल पंजिका इत्यादि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे। इसके अतिरिक्त फार्म बी0एम0–05 में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित माह में किए गये लेन–देनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रुप में वर्णित है कि "Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me" and "Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement".

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवाली, नैनीताल की रोकडबही की विस्तृत लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि चयनित माह जून 2015, दिसम्बर 2016 एवं अक्टूबर 2017 में कोषागार द्वारा प्राप्त फार्म बी0एम0–05 के सी0टी0आर0 के कुल रु0 142.20 लाख की सकल धनराशि को रोकड बही में दर्शाया नहीं गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

माह	**धनराशि**
06/2014	46.84
12/2016	18.28
10/2017	77.08
योग:–	**142.20**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रधारी चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि वेतन की धनराशि कार्मिकों के खाते में सीधे जाने के कारण प्रविष्टि नहीं की गयी। भविष्य में प्रविष्टियॉ की जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही निर्गत किए गये थे जिनका कार्यालय को अनुपालन किया जाना चाहिए था।

अतः ई–भुगतान की धनराशि रु0 142.20 लाख को रोकड बही में प्रविष्टि न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

–– शून्य ––

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवाली (नैनीताल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i)
   (ii) } –– शून्य ––

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i)
   (ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा0 अजय कुमार	प्रभारी चिकित्साधिकारी	22.01.2008 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवाली (नैनीताल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.